Session Case No. 37/2025
CNR No- UPBU- 13000154-2025

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खुर्जा , जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या : **37/2025**
राज्य बनाम राजकुमार आदि।

UPBU130001542025

दिनांक **03.06.2025**

निस्तारण प्रार्थना पत्र **5A** अन्तर्गत धारा **227** दं०प्र०सं०

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना 5A अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० हेतु नियत है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राजकुमार, सुमन, सोनू की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में 155 सी०आर०पी०सी० में दर्ज किया जाकर विवेचक द्वारा 452 आई०पी०सी० में बढ़ोतरी करते हुए पुनः अन्तर्गत धारा 308 आई०पी०सी० की बढ़ोत्तरी की गयी है। जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी राजकुमार पुत्र चन्द्रपाल के साधारण प्रवृत्ति की चोटें आना पाया गया है। जो कि पत्रावली पर मौजूद है। उक्त चिकित्सक द्वारा चुटैल की रेडियोलाजिस्ट से भी जाँच नहीं करायी गयी है और ना ही किसी मेडिकल में भर्ती किये जाने की बाबत उक्त चिकित्सक द्वारा परामर्श दिया गया है। बिना रेडियोलाजिस्ट की रिपोर्ट के अन्तर्गत धारा 308 आई०पी०सी० मान्य किया जाना कदापि सम्भव नहीं है। इसलिए उपरोक्त मामला वादी एवं थानाध्यक्ष खुर्जा देहात की पुलिस से साज का परिणाम है। इसलिए प्रार्थी/अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में उन्मोचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अभियुक्तगण की ओर से उनको उन्मोचित किये जाने की याचना की गई है।

उक्त पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से आपत्ति 6B इस आशय कि प्रस्तुत की गई है कि बचाव पक्ष द्वारा दिया गया उपरोक्त प्रार्थना पत्र बनावटी व मनगढ़न्त तथ्यों पर दिया गया है। वादी मुकदमा दर्शन सिंह चुटैल राजकुमार व अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों ने अपने बयान 161 दं०प्र०सं० में स्पष्ट रूप से अंकित किया है। घटना घर (दर्शन सिंह) में हुई थी तथा विवेचक द्वारा जो नक्शा नजरी बनाया है उसमें भी स्पष्ट किया है कि घटना दर्शन सिंह के घर के अंदर स्थान (A) पर हुई थी। विशेषज्ञ साक्षी डा० ललित कुमार ने भी अपने चिकित्सीय परीक्षण में मजरूब राजकुमार की चोंट नं० 1 को हड्डी तक गहरी बताया है तथा चोंट नं० 1 की वजह से जान जाने का खतरा बताया था। उक्त सत्र वाद में सभी आवश्यक गवाहान नक्शा आदि के बाद ही विवेचक ने आरोप पत्र प्रेषित किया है। उक्त सत्र वाद मा०न्यायालय में आरोप के स्तर पर विचाराधीन है तथा बचाव पक्ष के पास अपनी दोषमुक्ति साबित करने का पूर्ण मौका है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से उपरोक्त कारणों के आधार पर बचाव पक्ष की ओर से दिये गये उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.05.2025 को खारिज करने की याचना की गई है।

उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण राजकुमार व सोनू की ओर से स्वयं को उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी है और यह कथन किया गया कि प्रकरण में तहरीर व प्रथम सूचना रिपोर्ट से धारा 452 भा०दं०सं० का आरोप नही बन रहा है तथा धारा 308 भा०दं०सं० की बढ़ोतरी की गयी है। जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी राजकुमार की साधारण प्रकृति की चोटें पाई गयी है तथा रेडियोलाजिस्ट द्वारा भी जाँच नहीं कराई गयी है। बिना जाँच की रिपोर्ट के धारा 308 भा०दं०सं० का आरोप सम्भव नहीं है। जबकि अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा व अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों के बयानों तथा नक्शा नजरी के आधार पर घर के अन्दर की घटना होना दर्शाते हुए यह भी कहा गया कि डॉ० ललित कुमार द्वारा संपादित चिकित्सीय परीक्षण में मजरूब राजकुमार की चोंट नं० 1 को हड्डी तक गहरी बताते हुए जान जाने का खतरा बताया गया है तथा बचाव पक्ष की ओर से अपनी दोषमुक्ति विचारण के आधार पर साबित करने का पूर्ण मौका है। दोनों पक्षों के उपरोक्त कथनों को दृष्टिगत रखते हुए तहरीर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध सं० 293/19 के अवलोकन से यह दर्शित होता है

कि वादी की तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323, 506, 452 भा०दं०सं० अभियोग पंजीकृत किया गया है। तहरीर में वादी द्वारा यह बताया गया है कि मकान के सामने अभियुक्त नानक टैम्पो लेकर आया। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। टैम्पो की लाइट सही कराने की बात पर विवाद हो गया और सभी अभियुक्तगण लाठी डण्डे लेकर आ गये और मारपीट करने लगे। उक्त मारपीट में राजकुमार के सिर में काफी चोंट आई। दौरान विवेचना विवेचक के द्वारा चुटैल राजकुमार के बयान धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किये गये। जिसने अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर लाठी डण्डों से मारपीट करने का कथन किया गया और स्वयं के साथ भी अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करना बताया गया। यह भी दर्शित है कि वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा एन.सी.आर. नं. 39/19 धारा 320,506 पंजीकृत की गई। जिस पर न्यायालय के आदेशानुसार विवेचना प्रारम्भ की गई। वादी मुकदमा के द्वारा भी विवेचक को दिये गये बयान में अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के दौरान राजकुमार के सिर में लोहे की रॉड से मारना बताया है तथा अभियुक्तगण पर घर में घुसकर उक्त घटना कारित किये जाने का भी कथन किया गया। दौरान विवेचना चुटैल राजकुमार का चिकित्सीय परीक्षण पुलिस द्वारा कराया गया। जिसमें राजकुमार के सिर पर चोंट नं० 1- 8x1 Cm हड्डी तक गहरी पाई गयी है। जो सिर के बांयी तरफ है। हालांकि चोटों की प्रकृति साधारण उल्लिखित की गयी है। किन्तु सिर में 8x1 Cm की हड्डी तक गहरी चोंट व अन्य चोटों के संबंध में सम्बन्ध में डॉ० ललित कुमार के बयान विवेचक द्वारा अंकित किये गये है। जिसके द्वारा यह बताया गया है चोंट नं० 1 हड्डी तक चोंट थी। जिसमें जान जाने का खतरा हो सकता था। सिर किसी भी सामान्य व्यक्ति के शरीर का एक नाजुक भाग होता है। बचाव पक्ष द्वारा इस आधार पर स्वयं को धारा 227 दं०प्र०सं० के तहत डिस्चार्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है कि उक्त चोंट के सम्बन्ध में किसी रेडियोलाजिस्ट से परीक्षण नहीं कराया गया और इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा विधि व्यवस्था **Government Appeal No. 115/78** राज्य बनाम **R.N. Tiwari** का सहारा लिया गया है। किन्तु दर्शित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष देते हुये उक्त विधिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण अभी आरोप के स्तर पर ही नियत और आरोप के स्तर पर अभियोजन द्वारा केस डायरी के साथ प्रस्तुत साक्ष्य व सामग्री का ही परीक्षण करते हुए आरोप विरचित किये जाने की व्यवस्था है। अतः उक्त विधि व्यवस्था के प्रावधान यहां पर सुसंगत नहीं हैं।

धारा **227** दं०प्र०सं० उन्मोचन के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान करती है कि "यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।" इस प्रकार स्पष्ट है कि आरोप एवं उन्मोचन के स्तर पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख एवं दस्तावेजों पर ही प्रथम दृष्टया विचार किया जाना है। चिकित्सक जो कि विशेषज्ञ साक्षी है के द्वारा स्पष्ट रूप से सिर के चोंट नं० 1 को जानलेवा होना बताया गया है। बचाव पक्ष द्वारा जिस आधार पर तर्क दिया जा रहा है वह विचारण व साक्ष्य के स्तर का विषय है। विधि व्यवस्था प्रभुनाथ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **2008(60)ACC 59 (**इलाहाबाद**)** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विधिक दृष्टांत बताया गया है कि आरोप मात्र संदेह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। विधि व्यवस्था किमिनल अपील नम्बर **407/2021** स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम अशोक कुमार कश्यप**,** निर्णीत दिनांक **13.04.2021** में यह अवधारित किया गया है कि "We are not further intering into the merits of the transcript as the same is required to be considered at the time of Trial. Defence on merits is not to be considered at the stage of framing of the charge and for at the stage of discharge application. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **State of Bihar Vs. Ramesh Singh (1974) 4 SCC 39** में यह अवधारित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, प्रथम दृष्टया अपराध बनना प्रतीत होने के आधार पर आरोपित विरचित किया जा सकता है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था किमिनल अपील नॅ**0 3618/2023** विष्णु कुमार शुक्ला व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि जहां पर अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह (Strong Suspicion) मौजूद हो वहां पर अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है। परन्तु यदि प्रथम दृष्टया ऐसी साक्ष्य मौजूद है जिसके आधार पर अभियुक्त का

विचारण किया जा सकता है तब न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उन्मोचित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **State of Gujarat Vs. Dilip sinh Kishor sinh Rao, 2023 INSC 894** का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष भी दिया गया है कि "The Primary consideration at the stage of framing of charge is the test of existence of a prima-facie case, and at this stage, the probative value of materials on record need not be gone into. The nature of evaluation to be made by the court at the stage of framing of the charge is to test the existence of prima-facie case." इसी प्रकार की अवधारणा विधि व्यवस्था कंचन कुमार बनाम बिहार राज्य **2022 Live Law (SC) 763** में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी है कि "Simple and necessary inquiry to be conducted for a proper adjudication of an application for discharge for coming to a conclusion that a prima facie case is made out for the accused to stand trial." इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद होने की स्थिति में भी अथवा मात्र संदेह के आधार पर भी अभियुक्त पर आरोप विरचित कर विचारण किया जा सकता है। जब तक कि घटना के सम्बन्ध में गंभीर संदेह न हो।

जबकि प्रस्तुत मामले में विवेचक के द्वारा विवेचना के दौरान तैयार किये गये नक्शा नजरी में घटनास्थल घर के अन्दर 'A' स्थान का दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त गवाह जयपाल, श्रीमती मंजू, श्रीमती सुदेश, श्रीमती कुँवर व बलबीर सिंह के द्वारा भी अपने बयानों में विवेचक को घर में घुसकर अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य की जानकारी की गयी है और यह भी कहा गया है कि राजकुमार के काफी चोंटे आयी थी। अतः मात्र इस आधार पर रेडियोलाजिस्ट को रेफर नहीं किया गया और न ही उसकी रिपोर्ट है मामले को गंभीर रूप से संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। जबकि तथ्य साक्षी के साथ-साथ चिकित्सक के द्वारा भी राजकुमार के सिर की चोंट को जानलेवा बताया गया है। धारा 308 भा०दं०सं० उन परिस्थितियों पर लागू होती है जहाँ कोई व्यक्ति किसी कार्य को इस ज्ञान के साथ करता है कि यदि उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह गैर इरादतन हत्या का दोषी होगा। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें जानबूझकर किसी की हत्या करने का इरादा नहीं होता, लेकिन कार्य करने से मृत्यु हो जाती है। इस धारा में भा०दं०सं० में दृष्टांत भी दिया गया है कि "गम्भीर और अचानक उकसावे पर, य पर पिस्तौल चलाता है, ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसने उसके द्वारा मृत्यु कारित की होती तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले गैर इरादतन हत्या का दोषी होता। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।"

प्रस्तुत प्रकरण में केस डायरी के आधार पर इतनी पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है जो विचारण हेतु पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में केस डायरी में उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं उपरोक्त विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई न्यायोचित एवं विधिसंगत आधार दर्शित नहीं होता है। अतः केस डायरी में उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 323, 452, 308 एवं 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने पर्याप्त एवं न्यायसंगत आधार दर्शित होता है और उन्मोचन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5A अन्तर्गत धारा 227 दं०प्र०सं० तदनुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली दिनांक 30.06.2025 को आरोप विरचन हेतु पेश हो। अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहे।

दिनांक: 03.06.2025

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

मौ० अफसान-- आशुलिपिक।

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.06.04 19:23:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court